



2011



दूरभाष : 0771.2285352, 2285353(फैक्स)
E-mail : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़

DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH

गोविन्द सारंग परिसर, तुतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर - 492006

Govind Sarang Complex, 3rd Floor, New Rajendra Nagar, Raipur -492006

क्रमांक डी-32019/1/2015-डीसीओ(छ.ग.)/H/490

दिनांक-12/6/2015

पुनर्निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर स्थित कार्यालय को भवन की सुरक्षा गार्ड, भूत्य एवं सफाई कर्मी हेतु निम्नानुसार कर्मचारियों की आवश्यकता है:-

क्रमांक	कर्मी का पदनाम	पदों की संख्या	वांछित योग्यता	कार्य अवधि
1	चौकीदार / सुरक्षा गार्ड	03	प्रायमरी स्कूल स्तर उत्तीर्ण	तीन पारियों में (प्रति पारी 8 घण्टे)
2	भूत्य	02	मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण	8 घण्टे
3	सफाई कर्मी	02		8 घण्टे

उक्त हेतु यह निदेशालय सीलबंद पुनर्निविदाएं हि बोली प्रणाली (Two Bid System) में (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) आमंत्रित करती है। इच्छुक फर्म द्वारा अपनी तकनीकी बोली (Technical Bid) एवं वित्तीय बोली (Financial Bid) को अलग-अलग लिफाफो जिन पर रपष्ट अक्षरों में पुनर्निविदा सूचना और निर्धारित तारीख लिखकर एक बड़े लिफाफे में रखकर दिनांक 18/06/2015 तक प्रातः 11.00 बजे तक भेजा जा सकता है।

तकनीकी बोली (Technical Bid) में दिये गये शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् ही वित्तीय बोली की पुनर्निविदा खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

इच्छुक फर्म डाक के माध्यम से अथवा कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में रीधे तौर पर पुनर्निविदाये जमा कर सकते हैं।

कृ.प.उ.

3. तकनीकी बोली (Technical Bid)

निम्नांकित प्रमाण—पत्र पुनर्निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है:—

- (क) पुनर्निविदा प्रदाय करने वाले एजेंसी का पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत LEO से प्राप्त न्यूनतम मजदूरी प्रमाण—पत्र लेवर लाइसेंस सहित, यदि लागू हो तो।
- (ग) PAN नम्बर।
- (घ) सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र।
- (व) ESIC एवं EPF रजिस्ट्रेशन/प्रमाण—पत्र।
- (छ) निविदाकर्ता फर्म का वित्त वर्ष 2014–15 का वार्षिक Turn Over कम से कम राशि रु. 20 लाख वार्षिक होना आवश्यक है, इस हेतु चार्टर एकाउटेंट द्वारा आडिट की हुई Audited Balance Sheet की छायाप्रति लगाना आवश्यक है। साथ में निविदाकर्ता फर्म का विगत 3 वित्तीय वर्षों का Filed Income Tax Return की छायाप्रति लगाना आवश्यक है।
- (ज) निविदाकर्ता फर्म विगत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अन्य कार्यालयों/संस्थानों में दी गई सेवा संबंधी दस्तावेज।
- (झ) पुनर्निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेज फर्म के प्रतिनिधि द्वारा स्वसंत्यापित होने चाहिये।
- (ट) पुनर्निविदा के साथ राशि रु. 15,000/- बतौर पुनर्निविदा होगा। EMD की राशि अकाउण्ट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी निदेशक, डी.सी.ओ. छत्तीसगढ़, रायपुर (Director, D.C.O.Chhattisgarh, Raipur) के नाम से तथा रायपुर में देय हो।

जिन फर्मों ने पूर्व में निविदा क्रमांक एच/2642 दिनांक 29/12/2014 अथवा पुनर्निविदा क्रमांक एच/2810 दिनांक 20/01/2015 या पुनर्निविदा क्रमांक एच/2949 दिनांक 05/02/2015 या पुनर्निविदा क्रमांक एच/358 दिनांक 29/05/2015 के अंतर्गत निविदा जमा की है उन्हें पुनर्निविदा में नया EMD जमा करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी पूर्व निविदा में जमा EMD को मान्य किया जायेगा।

वित्तीय बोली (Financial Bid)

1. संलग्न किये जाने वाले कर्मियों के संबंध में प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का दर प्रस्तुत करना होगा, जो कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन (कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन + ESI + EPF + स्पेशल पै, यदि कोई है, तो) से कम नहीं होना चाहिये। न्यूनतम वेतन से कम दर होने पर प्रस्तुत निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा एवं अन्य बोली पर विचार किया जायेगा।
2. दर प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखें कि संलग्न किये जाने वाले कर्मियों को तत्समय प्रभावी नियमानुसार PF, ESIC इत्यादि की कटौती करना अनिवार्य होगा। इसके साथ—साथ नियमानुसार आयकर संबंधी TDS की कटौती भी की जावेगी।

कृ.पृ.उ.

नियम व शर्तें:-

- 3 सफल निविदाकर्ता (एजेंसी) को अनुबंध करते समय एक वर्ष के लिये अनुबंधित राशि का 5% बतौर निष्पादन सुरक्षा राशि (Performance Security), जो अगले एक हजार रुपये में Round Off होगा एवं उक्ता राशि किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा जारी FDR जो निदेशक, डी.सी.ओ. छत्तीसगढ़, रायपुर (Director, D.C.O. Chhattisgarh, Raipur) के नाम से तथा रायपुर में देय हो इस कार्यालय में 14 माह के लिये जमा करना होगा।
- 4 इस निदेशालय में संलग्न किये जाने वाले किसी भी कर्मचारी का वेतन का भुगतान राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगा चाहिये। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि गविष्य में राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की जाती है तो यह कार्यालय अनुबंध अवधि के बीच में दरों में संशोधन नहीं करेंगे और बढ़ी हुई दरों पर भुगतान संबंधित फर्म को करना होगा। अतः दरे प्रस्तुत करने वाली फर्मों को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये वित्तीय बोली में दरे प्रस्तुत करें। फर्म द्वारा प्रदाय दर अनुबंध की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिये प्रभावशील होंगे।
- 5 कर्मचारियों के व्यवहार/आचरण की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। संबंधित फर्म की जिम्मेदारी होगी कि वह यह ध्यान रखे कि संलग्न किया गया कोई भी कर्मचारी ऐसा किसी भी प्रकार का व्यवहार/आचरण न करे जो शासकीय कार्यालय की गरिमा के प्रतिकूल हो।
- 1 कर्मचारियों को किसी भी तरह के शासकीय वेतन भत्ते आदि मान्य नहीं होंगे किसी भी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य में किसी भी प्रकार के दावे के हकदार नहीं होंगे तथा ढ्यूटी अवधि में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना/ दुर्घटना आदि के लिये यह कार्यालय किसी भी प्रकार के दावे मान्य नहीं करेगा।
- 2 इस कार्यालय में उक्तानुसार संलग्न किये जा रहे कर्मचारियों का पूर्ण विवरण (पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो सहित) कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
- 3 कार्यालय परिसर में निषिद्ध पदार्थों यथा— शराब, बिड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि का सेवन संलग्न कर्मियों द्वारा नहीं किया जावेगा।
- 4 सुरक्षा गार्ड/भूत्य /सफाईकर्मी को उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कार्य की प्राथमिकता को देखते हुये केयर— टेकर द्वारा अन्य कार्य सौंपा जा सकता है। सभी कर्मचारियों को प्रत्येक दिन कर्तव्य पर उपरिथित होने पर केयर—टेकर को उपरिथिति देनी होगी। किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति की पूर्व सूचना केयर—टेकर को देते हुये उसके एवज में अन्य कर्मचारी को कार्य पर लगाया जाना होगा। कर्मचारी उपलब्ध न कराने की स्थिति में अनुपातिक रूप से भुगतान की जाने वाली राशि में कटौती किया जावेगा।
- 10 एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि एवं ESI की राशि की कटौती कर संबंधित कार्यालय में नियमित रूप से जमा करना अनिवार्य होगा एवं जमा की गई राशि के संबंध में इस कार्यालय को नियमित अवगत कराना होगा। साथ ही इस दौरान PF, ESI में नियमानुसार वृद्धि किये जाने पर अतिरिक्त प्रभार का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
11. सुरक्षा गार्ड/भूत्य / सफाई कर्मी ड्रेस में रहेंगे, जिसकी आपूर्ति संबंधित फर्म द्वारा किया जाना होगा।
- 12 यह **Contract** प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए मान्य होगा एवं सुरक्षा गार्ड/भूत्य/सफाई कर्मी के कार्य नियंत्रण अधिकारी की दृष्टि में संतोषजनक पाये जाने पर आगे भी **Mutual Agreement** के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। सुरक्षा गार्ड/भूत्य/सफाई कर्मी के कार्य नियंत्रण अधिकारी की दृष्टि में संतोषजनक नहीं पाये जाने पर किसी भी स्तर पर किसी भी एजेंसी द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं निरस्त किया जा सकेगा।
13. पुनर्निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा पुनर्निविदा को निररत करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रण अधिकारी, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।


कृपू.उ.

// 4 //

पुनर्निविदा जमा करने/खोलने की तिथि

पुनर्निविदा जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ में दिनांक 18/06/2015 को प्रातः 11.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है। इस तिथि या समय के बाद प्राप्त पुनर्निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। दिनांक 18/06/2015 को प्रातः 11.30 बजे कार्यालय के काय समिति के समक्ष तकनीकी बोली खोला जावेगा तथा दिनांक 18/06/2015 को साय 4.00 बजे वित्तीय बोली खोला जावेगा।

पुनर्निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।



(आर.पटेल)
राहायक निदेशक